न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 77/2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 ताराचन्द उम्र 75 वर्ष पुत्र अमरचन्द जाति महाजन निवासी 1162 कुंचा महाजनी चांदनी चोक दिल्ली — 110006।

अपीलांट

बनाम

1 दलीप सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ागोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र तथाकथित पुत्र गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी गुढागोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार महोदय उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी दलीप सिंह बनाम
महेन्द्र सिंह वगैरह मु.नं. 61/12 निर्णय दिनांक 27.10.'17

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबर सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–25.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 61/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 104 व 113 सरहद मौजा ढ़ाणी बिजारणियां पटवार हल्का बामलास प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2017 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेवन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 पार्ट द्वितीय में कोई भी निर्णय आदेशिका पर नही लिखा जाता है। विचारण न्यायालय ने आवेदन के तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्य को निर्णय में विवेचित नही किया है अत स्पीकिंग आर्डर नही माना जा सकता है अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुतन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को विवेचित करना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

आवश्यक होता है इसके अभाव में आदेश अमान्य होता है अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है रिकार्ड और मौके की स्थिति का विवेचन किये बिना कोई भी न्यायालय यथास्थिति का आदेश नही दे सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 930 हाईकोर्ट, आर.एल. डब्ल्यू 2009 (1) आर.जे. पेज 483, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 945, आर.आर.डी 2016 पेज 232 एवं डी.एन.जे. (राजस्थान) 2007 (2) पेज 940 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की पैतृक है खसरा नम्बर 104,113 काश्त की सुविधा के लिए हमे दी हुई है। अपीलांट एक अजनबी केता है जब तक खाता बंटवारा नही होता अपीलांट कब्जा नही ले सकता है। रिकार्ड दुरूस्ती का दावा विचारण न्यायालय में चल रहा है विचारण न्यायालय ने इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर पक्षकारान के मध्य अनावश्क विवाद व मुकदमाबाजी नही बढ़े इस हेतु टी.आई. जारी की है। जो विधि सम्मत है अपील खारिज की जाये।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि सहखातेदार अपना हिस्सा बेच सकता है रिकार्डेड खातेदार के फुट स्टेप पर हुं टी.आई. नही दी जा सकती है अपील स्वीकार की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में विचारण न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन किए बिना, दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य एवं

खातेदारी काश्तकारी एवं कब्जे की स्थिति का विचाराधीन निर्णय में न तो अंकन किया है न ही विवेचन किया है केवल मात्र एक लाईन में विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद एवं मुकदमाबाजी नही बढ़े, का अंकन कर विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है विवादित भूमि पर अपीलांट काबिज नही है ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नही है अत प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित पाये जाते हैं ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर